कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमाक– 1868 / ~~243~~ 94 / बजट / 2017 — भोपाल, दिनांक– 17/9/2018

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय– अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान संबंधी –2018–19

अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान के संबंध में वर्तमान में योजना कमांक 7043 अन्तर्गत ग्लोबल बजट में प्रावधान है। वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु त्रैमासिक सीमा निर्धारित है परन्तु वर्तमान में निर्धारित व्यय सीमा पूर्ण होने के कारण राशि का आहरण नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अतिथि विद्वानों के संबंध में प्रशासकीय विभाग के परिपत्र कमांक 969 / एफ 1–9 / 2016 / 38–1, दिनांक 08.08.2016 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016–17 एवं आगामी शैक्षणिक सत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था संबंधी निर्देश जारी किये गये है।

उपरोक्त परिपत्र के बिन्दु कमांक 4.2 में मानदेय के भुगतान संबंधी निर्देश है जिसमें मानदेय का भुगतान जगभागीदारी समिति द्वारा किया जाकर प्रतिपूर्ति शासन द्वारा आवंटित राशि से किये जाने के निर्देश है।

अतः उपरोक्त स्थिति में मानेदय भुगतान के संबंध में प्रशासकीय विभाग के परिपत्र दिनांक 8.8.16 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

योजना कमांक 7053 अन्तर्गत ग्लोबल बजट में सीमा उपलब्ध होने पर नियमानुसार भुगतान की गई राशि की प्रतिपूति की जाना सुनिश्चित की जावे।

("आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित")

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0– 1869 / ~~269~~ 94 / आउशि / बजट / 18 — भोपाल, दिनांक 17/9/2018

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
6. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

......की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश